A4/1

न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी :: दिनेश चंद जैन आई.ए.एस.

राजस्व विविधः: 08/2017 ::

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण
1. श्री कांतिलाल पुत्र चन्द्रभानजी 2. श्री रमेश कुमार पुत्र केशरीमलजी 3. श्री जयपाल पुत्र केशरीमलजी 4. श्री पूरन कुमार पुत्र केशरीमलजी 5. श्री विजयराज पुत्र केशरीमलजी 6. श्रीमती जड़ावीबाई बेवा केशरीमलजी, जातिगण पोरवाल जैन, निवासीगण– तखतगढ़ तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राज.) 7. मधुबेन पुत्री केशरीमलजी पत्नी ललित कुमारजी पोरवाल जैन, निवासी–डी 49, बी.बी. स्प्रिंग फील्ड बिल्डिंग, वापारी, चेन्नई–7 8. मसुबेन पुत्री केशरीमलजी पत्नी प्रदीप कुमारजी पोरवाल जैन, निवासी– एल. एन.एच.ओ. बिल्डिंग न. 5, फर्स्ट फ्लोर, के.एम. मंशी रोड, चोपाटी, मुम्बई (महाराष्ट्र) 40007		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुमेरपुर जिला पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 (2) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– प्रार्थीगण की ओर से एडवोकेट श्री राजेन्द्र मेवाड़ा एवं श्री दौलत मकवाना

अप्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार श्री खीमाराम

–:: नि र्ण य :–

दिनांक :– 11-6-19

प्रार्थीगण की ओर से यह प्रार्थना पत्र उनके अधिवक्ता द्वारा अन्तर्गत धारा 88 (2) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी पेश किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को तलब किया गया एवं बहस सुनी गई।

जिला कलेक्टर, पाली

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने वक्त बहस कथन किया कि पूनमचंद व चन्द्रभान जी सगे भाई थे, दोनों जयरूपजी उर्फ जसरूप जी के पुत्र थे। दोनों का स्वर्गवास हो चूका है। चन्द्रभानजी के वारिस कान्तिलाल है तथा पूनमचन्दजी के विधिक उतराधिकारी केशरीमलजी थे, जिनका भी स्वर्गवास हो चूका है तथा केशरीमलजी के विधिक वारिसान प्रार्थी संख्या 2 लगायत 8 है। प्रार्थीगण के पूर्वज का तखतगढ की आबादी के मध्य तत्कालीन हाकिम बाली द्वारा रियासत काल में ही पट्टे प्रार्थीगण के पूर्वजों के नाम निम्नानुसार जारी किए गए थे। जो तत्समय प्रभावी मारवाड़ पट्टा एक्ट 1921 के तहत जारी किए गए।

क्र.स.	पट्टा सं./ दिनांक	मिसल सं./वर्ष	क्षेत्रफल	व्यक्ति जिसके पक्ष में पट्टा जारी किया गया।
01	99/ 01.11.1929	119/1927–28	1625 वर्गगज	पूनमचन्द, चन्द्रभान पुत्रगण जयरूपजी उर्फ जसरूपजी महाजन निवासी तखतगढ़
02	43/ 19.01.1929	47/1927–28	3150 वर्गजग	पूनमचन्द, चन्द्रभानजी, केशरीमलजी व सोनमलजी बेटा पोता जयरूप (जसरूप) महाजन निवासी तखतगढ़
03	127/03. 04.1946	752/1943–44	522 वर्गजग	पूनमचन्द, चन्द्रभानजी, केशरीमलजी पिसरान जयरूपजी उर्फ जसरूपजी महाजन निवासी तखतगढ़
04	127/02. 07.1934	105/1928–29	1075 वर्गजग	पूनमचंद, चन्द्रभानजी पिसरान जयरूपजी उर्फ जसरूपजी महाजन निवासी तखतगढ

तथा पट्टा संख्या 43/19.01.1929 दक्षिण दिशा में स्थित, जो भील कनीया वीरा का मकान जो पूनमचन्द जी ने खरीदा था। जिसका पट्टा संख्या 99/02.11.1929 पूनमचंद्र, चन्द्रभान के नाम जारी हुआ था। जिस पर प्रार्थीगण अपने पूर्वजों के बाद स्वयं की उपरोक्त पट्टा अनुसार भूमि पर उस समय से काबिज चले आ रहे है। जैर प्रार्थना पत्र आराजी पर पुरानी दुकानें व बरामदा बना हुआ है। उन दुकानों में से दूकान संख्या 11, 12, 13 व 14 किराये पर क्रमशः भानमल पुत्र चमनाजी नाई, नाथूलाल पुत्र अमीचंद नागर, कान्तिलाल, मीठालाल रावल तथा पूनमचंद पुत्र रंगाजी सुथार निवासी तखतगढ़ को किराये पर दी हुई थी। उक्त दुकानें खाली कराने हेतु प्रकरण संख्या क्रमशः सिविल न्यायाधीश (क.ख.) सुमेरपुर में चले, जिसमें प्रार्थीगण को ही मालिक माना जाकर दुकाने खाली कर सुपुर्द करने के आदेश प्रकरण संख्या 23/2004, 22/2004, 8/2002 एवं 24/2004 में

जिला कलेक्टर, पाली

संबंधित न्यायालय द्वारा किए गए है। जिनकी अपीलें माननीय अपर न्यायाधीश सुमेरपुर में में भी की गई तथा माननीय उच्च न्यायालय में भी सी.बी. ाा अपील की गई, जिनमें प्रार्थीगण के हक में निर्णय हुआ एंव दुकानों का कब्जा प्रार्थीगण को सुपुर्द करने के आदेश प्रदान किए गए है। जिससे प्रार्थीगण का कब्जा बतौर मालिक भाड़ा चिटटी सम्पन्न तिथी दिनांक 01.07.1977 से आदिनांक सिद्ध है। जिनका किराया भी बतौर भू स्वामी पहले प्रार्थीगण के पूवजों ने तथा बाद में प्रार्थीगण द्वारा वसूला है तथा विभिन्न न्यायालयों ने भी आदेश प्रार्थीगण के हक में दिए है। किरायानामा व किराये की रसीद की प्रतियां संलग्न है। कार्यालय ग्राम पंचायत तखतगढ़ द्वारा गृहकर वसूला गया तथा न.पा. तखतगढ़ द्वारा भी गृहकर वसूला, उसकी प्रतियां भी जैर प्रार्थना पत्र भूमि को प्रार्थीगण का मालिक होना सिद्ध करती है। जो बहुत पुरानी है। जो रसीद संख्या 12431/20.02.1968 से स्पष्ट है। सहायक निदेशक भूमि एंव भवन कर विभाग पाली का भवन का मुल्यांकन बाबत पारित आदेश कमांक 3955–56 दिनांक 23.08.1977 की प्रति भी संलग्न प्रस्तुत कर भूमि को अपने स्वामित्व में ही होने का कथन किया गया है तथा इस न्यायायलय को निवेदन किया कि आबादी भूमि के मध्य, जैर प्रार्थना पत्र आराजी पर निर्माण एवं तत्कालीन मारवाड़ पट्टा एक्ट के तहत पट्टा जारी होने के बाद भी उक्त आराजी आदिनांक आबादी के मध्य खसरा नम्बर 762/1005 रकबा 0.01 है. गै.मु. बेरा तथा खसरा नम्बर 762/1006 रकबा 0.23 है. गै.मु. पायतन (सिवायचक) दर्ज है, उसके संबंध में तहसीलदार सुमेरपुर के समक्ष पटवार हल्का द्वारा टी.पी. पेश करने पर अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के बेदखली आदेश विरूद्ध अप्रार्थीगण पेश करने पर बेदखली के आदेश प्रदान किए तब प्रार्थीगण को राजस्व रेकर्ड की जानकारी होने पर उक्त आराजी को खसरा नम्बर 762/1005 रकबा 0.01 है. गै.मु. बेरा एवं खसरा नम्बर 762/1006 रकबा 0.23 है. गै.मु. पायतन (सिवायचक) भूमि, जो राजस्व अभिलेख में राजस्थान सरकार की स्वामित्व की इन्द्राज किया हुआ है। उक्त इन्द्राज गलत एंव निराधार है, क्योंकि इस भूमि का पट्टा तत्कालीन जोधपुर स्टेट द्वारा उस समय प्रभावी मारवाड़ पट्टा एक्ट 1921 के अनुसार विधी सम्मत तरीके से मिसल कायम कर आबादी के मध्य प्रार्थीगण के पूर्वजों के नाम से उपरोक्तानुसार पट्टे जारी किए है। उक्त पट्टों के आधार पर प्रार्थीगण का जैर प्रार्थना पत्र आराजी पर अधिपत्य एवं कब्जा है। राज्य सरकार का इस भूमि पर अधिपत्य नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त दोनों खसरा नम्बर 762/1005 एवं 762/1006 ग्राम तखतगढ़ की कुल रकबा 0.24 है. भूमि को प्रार्थीगण की घोषित करते हुए, तद्नुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज के आदेश प्रदान करावें।

सरकारी पैरोकार ने कथन किया कि भूमि राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज है तथा उस पर कब्जा प्रार्थीगण का है, सुमेरपुर की रिपोर्ट अनुसार एक बेरा बना है तथा दुकाने व

जिला कलेक्टर, पाली

A-4/4

बरामदा बना है तथा मारवाड़ रियासत के तत्कालीन हाकम द्वारा प्रार्थीगण के पूवर्जो के नाम पट्टा जारी किए जाने का तथ्य स्वीकार्य है। लेकिन भूप्रबन्ध विभाग द्वारा अमल दरामद नहीं करने से जैर प्रार्थना पत्र आराजी सिवायचक दर्ज रही, तद्नुरूप ही तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है एवं बेदखली के आदेश भी पारित किए गए है।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध सभी दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दृष्टान्त आर.आर.डी. 1981 के पृष्ठ संख्या 148 का भी ससम्मान अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण के पूर्वजों के नाम से जैर प्रार्थना पत्र आराजी का पट्टा बना हुआ है। उक्त पट्टे मारवाड पट्टा एक्ट 1921 के तहत बने है। मिसले कायम की गई है, उक्त आराजी तखतगढ़ की आबादी भूमि के मध्य स्थित है जिसके आस पास कृषि भूमि नहीं है। तथा भू प्रबन्ध विभाग द्वारा निराधार ही पूराने खसरा नम्बर 348 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा को गै.मु. सिवायचक दर्ज कर दिया गया। जबकि उक्त आराजी व आस पास में निर्माण कार्य किया हुआ था, दुकानें तथा एक कुआं भी बना था। उक्त प्रविष्ठि संवत् 2011 से 2030 तक खतौनी बन्दोबस्त में है, बाद में संवत् 2015 में खसरा नम्बर 348 के 311 हुए तथा उसमें भूमि इसी प्रकार दर्ज रही तथा संवत् 2037 से 56 की खतौनी प्रविष्टि अनुसार खसरा नम्बर 311 मीन से दो खसरा नं. 762/1005 व 762/1006 पडे, जो बदस्तुर है। जैर प्रार्थना पत्र आराजी के चारों तरफ आबादी भूमि स्थित है। कृषि योग्य भूमि नहीं है तथा आराजी पर दूकाने बरामदा, कुआं आदि बने होने एवं प्रार्थीगण के पूर्वजों के नाम मारवाड रियासत के हाकम बाली द्वारा तत्समय प्रचलित मारवाड़ पट्टा एक्ट के तहत पट्टा जारी किया गया। प्रार्थीगण के पूर्वजों के नाम जारी पट्टों का अमल दरामद राजस्व रेकर्ड में नहीं होने से भू प्रबंन्धन की कार्यवाही में उक्त भूमि का इन्द्राज राजकीय खाते में ही दर्ज रह गया। जबकि मौके पर भूमि आवासीय थी। सरकारी पैरोकार ने दो बार सेटलमेन्ट होने एवं राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम लागू होने के बाद लम्बी अवधि के पश्चात प्रस्तुत करना बताया, लेकिन राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 88 (2) में समयसीमा का निर्धारण नहीं होने से यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है। इस प्रकार प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी सबूतों के आधार पर ग्राम तखतगढ़ तहसील सुमेरपुर जिला पाली के पुराने खसरा नम्बर 348, 311 मीन हाल खसरा नम्बर 762/1005 व 762/1006 दोनों का कुल रकबा 0.24 है. आराजी का इन्द्राज दौराने सेटलमेन्ट राजस्व अभिलेख में राजकीय खाते में किए गए, इन्द्राज विधी विरूद्ध होने से कायम रखा जाना न्यायोचित नहीं है तथा उक्त आराजी का इन्द्राज राजस्व रेकर्ड में दुरस्त कर आराजी अप्रार्थीगण के नाम इन्द्राज किया जाना न्यायोचित है।

जिला कलेक्टर, पाली

A-4/05

परिणाम स्वरूप उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं कानूनी परिपेक्ष्य में प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार सुमेरपुर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम तखतगढ तहसील सुमेरपुर जिला पाली में स्थित हाल खसरा नम्बर 762/1005 रकबा 0.01 है. किस्म गै.मु. बेरा व 762/1006 रकबा 0.23 है. किस्म गै.मु. पायतन (सिवायचक) भूमि का प्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करने के आदेश दिए जाते है। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुमेरपुर को पालनार्थ प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 11-6-19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश चन्द जैन)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली